

KHAN SIR OFFICIAL

**Kisan Cold Storage, Sai Mandir, Musallahpur,
Patna - 6**

Mob. : 8877918018, 8757354880

भारतीय संविधान के भाग

By : Khan Sir
मानचित्र विशेषज्ञ

भाग-VIII अनु. 239-242

केन्द्रशासित (Union Territory) :-

★ केन्द्रशासित प्रदेशों में केन्द्र का सीधा नियंत्रण रहता है।

यहाँ के राज्य सरकार को समिति शक्तियाँ ही प्राप्त रहती है।

भारत में कुल 9 केन्द्रशासित प्रदेश हैं-

1. जम्मू-कश्मीर
2. लद्दाख
3. चंडीगढ़
4. दिल्ली
5. दमन-द्वीप
6. दादरनगर हवेली
7. पांडिचेरी
8. लक्ष्यद्वीप
9. अण्डमान-निकोबार

★ दिल्ली एक मात्र प्रदेश है, जिसका अपना H.C. है। केन्द्रशासित में इसकी जनसंख्या सर्वाधिक है।

★ सबसे बड़ा केन्द्रशासित अण्डमान-निकोबार है।

★ चार केन्द्रशासित प्रदेश समुद्र के किनारे हैं-

1. दमन-द्वीप
2. पांडिचेरी
3. लद्वय द्वीप
4. अण्डमान निकोबार

★ तीन ऐसे केन्द्रशासित प्रदेश हैं जहाँ विधानसभा है, जिस कारण मुख्यमंत्री बैठते हैं। उनपर नियंत्रण उपराज्यपाल का होता है।

1. जम्मू काश्मीर
2. दिल्ली
3. पांडिचेरी

Remarks : जिस केन्द्रशासित प्रदेश की जनसंख्या अधिक होती है, वहाँ विधानसभा, मुख्यमंत्री तथा उपराज्यपाल तीनों होते हैं, जबकि कम जनसंख्या वाले केन्द्रशासित प्रदेश में प्रशासक होते हैं।

केन्द्रशासित प्रदेश बनाये जाने के कारण :-

I. अत्यधिक दूर हो।

eg. :- (i) अण्डमान निकोबार (ii) लक्ष्यद्वीप

II. बहुत छोटा हो।

eg. :- (i) दादरनगर हवेली (ii) लमन और द्वीप

III. संस्कृति अलग हो।

eg. :- पांडिचेरी

IV. विवादित हो।

eg. :- चंडीगढ़

V. राष्ट्रीय महत्व का हो।

eg. :- (i) दिल्ली (ii) जम्मू-कश्मीर 3. दद्दाक

भाग-IX (अनु. 243-243 (ण)

पंचायत

★ 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया।

★ 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ किया गया।

★ इन दोनों ही कार्यक्रम की जाँच के लिए 1957 बलवंत राय मेहता (BRM) समिति का गठन कियागया।

★ इसी समिति के शिफारिश के आधार पर 02 अक्टूबर 1957 को राजस्थान के नागौर से पहली बार पंचायती राज्य प्रारंभ हुआ।

★ बलवंत राय मेहता B.R.M समिति के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत बनाया गया।

- (i) गाँव स्तर पर - ग्राम पंचायत
- (ii) ब्लॉक स्तर पर - पंचायत समिति
- (iii) जिला स्तर पर - जिला परिषद्

Remarks : - 1. जिस राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहाँ पंचायत सतिति नहीं बनायी जाएगी।

2. पं. बंगाल में चार स्तरीय पंचायत है।

3. मेघालय, मिजोरम तथा नागालैण्ड में एकस्तरीय पंचायत है।

4. पंचायतों के वित्तीय स्थिति के लिए सुधार के लिए राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं।

★ 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया इसने दो स्तरीय पंचायत की बात कही-

(i) गाँव स्तर पर - मंडल पंचायत

(ii) जिला स्तर पर - जिला परिषद्

★ पंचायतों को संविधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया। इस संशोधन के बाद पंचायतों को अपनाने वाला पहला राज्य कर्नाटक था।

★ दिल्ली में पंचायत नहीं है।

★ पंचायत की सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।

★ पंचायत के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित है। जबकि बिहार में 50% सीट आरक्षित है।

★ पंचायतों का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से 5 वर्ष होता है।

★ पंचायती समितियों में गणपुर्ति 1/2 होती है।

★ पंचायती सदस्यों को हटाने के लिए जिला पंचायत अधिकारी को 15 दिन पूर्व सूचना देनी होती है और 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटाया जाता है।

★ मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायत अधिकारी को देता है।

★ पंचायत सदस्यों को खाली सीटों को 6 महिने के अंदर चुनाव द्वारा भरा जाता है। यह बचे हुए कार्यकाल के लिए आती है।

★ पंचायतों के सभी स्तर का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करती है।

★ पंचायतों के वित्तीय स्थिति के जाँच के लिए राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं।

★ 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल, 1973 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायतों को 29 विषय दिये गए।

★ पंचायतों की बैठक दो महिने में एक बार होना अनिवार्य है।

पंचायती सदस्य :-

न्यायपालिका = पंच → सरपंच

कार्यपालिका = वार्ड सदस्य → मुखिया


Police = चौकीदार

राज्य सरकार = ग्राम सेवक, VDO, BDO, जिला पंचायत अधिकारी

लेखा-जोखा = लेखपाल / पटवारी / कानून गो

जमीन का नाप = अमीन

पंचायतों से संबंधित आयोग :-



Remark : पंचायतों के चुनाव कराने के समय का निर्णय राज्य सरकार लेती है। जबकि पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करती है।

Remark : पंचायती राज (स्थानीय स्वशासन) का मुख्य उद्देश्य सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना है।

Note : हरियाणा के पंचायत को खाप पंचायत कहते हैं।

भाग-IX (क)

नगरपालिका

अनुच्छेद 243(ट-य-छ)


अनुच्छेद - 12

74वां 1 जून 1993

★ **नगरपालिका** - यह शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन का दायित्व संभालता है।

★ इसे 74वां संशोधन (1 जून 1993) को 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया।

★ नगरपालिका भी तीन स्तरीय होती है-



Remark : 1. नगर पालिका को 18 विषय पर कानून बनाने का अधिकार है।

2. नगर पालिका की अवधि अपनी पहली बैठक से 5 वर्ष होती है।

3. नगर पालिका के तीनों चरणों में SC, ST तथा महिलाओं की आरक्षण की चर्चा है।


Note : मेयर (महापौर) के कार्यों को आसान करने के लिए प्रत्येक वार्ड में वार्ड काउंसिलर (Councilor) वाड पार्षद होता है।

e.g. Patna = मेयर (महापौर) - सीता साहू

मुसल्लहपुर हाट = वार्ड Councilar (वार्ड पार्षद) - इंद्रद्विप कुमार चंद्रबंशी

स्थानीय स्वशासन

- ★ इसका अर्थ होता है, स्थानीय लोगों द्वारा शासन।
- ★ सबसे पहले स्वशासन चोल राजाओं ने प्रारंभ किया।
- ★ लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को व्यवस्थित ढंग से लागु किया।
- ★ स्थानीय स्वशासन सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिए होती है।



भाग-IX (ख)

सहकारिता अनु. 243 (य-ज-यन)

- ★ बहुत से स्थानीय लोग मिलकर जब किसी संस्था या Company को बनाते हैं, तो उसे सहकारिता कहते हैं।
- ★ यह स्थानीय लोगों द्वारा बना होता है और स्थानीय लोगों की ही सहायता करता है।
- ★ सरकार इन संस्थाओं पर विशेष ध्यान देती है। इन संस्थाओं पर Tax कम लिए जाते हैं।

भाग-X ()

SC/ST प्रशासन (1989)

अनुच्छेद-244

- ★ SC/ST Act 1989 के तहत किसी दलित व्यक्ति के शिकायत पर बिना जाँच के ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती है।
- ★ अनुच्छेद 244 (क) में असम राज्य के जनजाति की प्रशासन की चर्चा है।

भाग-X (अनुच्छेद 245-263)

केन्द्र राज्य संबंध

- ★ अनु. 249 : - राज्य सूची के विषय में एक वर्ष के लिए कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा संसद को दे देती है।
- ★ अनु. 253 :- संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को किसी भी राज्य में लागू कर सकती है। बिना उस राज्य के अनुमति।
- ★ अनु. 262 :- नदियाँ राज्यसूची का विषय है अतः दो राज्यों के बीच उत्पन्न नदि विवाद को सुलझाने के लिए retired जजों का एक समूह बनाया जाता है, जिसे न्यायधीकरण या (tribunal) कहते हैं।

e.g. कावेरी जल विवाद (कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, और पांडिचेरी महानदी जलविवाद (छत्तीसगढ़, ओडिशा)

Remark : नदियों को संघ सूची में होना चाहिए।

- ★ अनु. 263 : - अंतर्राज्यी परिषद (अंतर्राज्य परिषद)

राज्यों के विवाद को सुलझाने के लिए इसका गठन किया जाता है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, कुछ Cabinet मंत्री उसके सदस्य होते हैं। PM इसके अध्यक्ष होते हैं, साल में इसकी तीन बैठक होती है।

भाग-XII

वित्त समिति संविदा (Tax)

- ★ अनु. 265 : - बिना संसद में पारित विधेयक के Tax नहीं लिया जा सकता है।
- ★ अनु. 266 : - भारत की संचित निधि
- ★ सरकार का समस्थ धन संचित निधि के रूप में RBI के पास जमा रहता है।
- ★ संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद को विनियोग विधेयक पारित कराना होता है।
- ★ केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को वेतन संचित निधि से दिए जाते हैं।
- ★ महान्यायवादी को संचित निधि से वेतन नहीं दिया जाता है।

अनुच्छेद (267) - अकास्मिक निधि

- ★ किसी आकस्मिक स्थिति में तत्काल धन उपलब्ध कराने के लिए आकस्मिक निधि बनाया जाता है।
- ★ आकस्मिक निधि से धन राष्ट्रपति निकालते हैं। आकस्मिक निधि से हमेशा 500 करोड़ रु. रहना चाहिए।

अनुच्छेद (275) - विशेष राज्य (विशेष अनुदान)

- ★ जिन राज्यों में प्राकृतिक आपदा तथा भौगोलिक विषमता होती है तथा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप होते हैं, उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। इन्हें लगभग 80% लौटा दिया जाता है।

अनुच्छेद (280) - वित्त आयोग

- ★ यह केन्द्र तथा राज्य में कर का बटवारा करता है। इसमें 4 सदस्य तथा एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष S.C. के जज के बराबर योग्यता रखता है।

अध्यक्ष अर्थशास्त्र का अच्छा जानकार होता है, इसका कार्यकाल '5' वर्षों का होता है।

- ★ अब तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है।

पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष K.C. नियोगी।

- ★ 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष Y.B. रेड्डी

- ★ 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष N.K. सिंह

वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं।

Note : वर्तमान में राज्यों को उनके कुल Tax का 42% लौटा दिया जाता है।

- ★ अनुच्छेद (292) - केन्द्र सरकार विदेशी ऋण ले सकती है, जो भारत के संचित निधि पर भारित होता है। सरकार बदलने पर भी यह ऋण चुकाने पड़ते हैं।

अनुच्छेद (293) - राज्य सरकार भी विदेशी ऋण ले सकती किन्तु उसे केन्द्र से अनुमति लेनी होगी।

- ★ अनुच्छेद (297) - भारत के क्षेत्र या जमीन से मिलने वाली मूल्यवान वस्तुएँ (जैसे-सोना, पेट्रोलियम, इत्यादि) पर केन्द्र सरकार का अधिकार होगा। किन्तु भूमि से गैर कानूनी वस्तु या खतरनाक वस्तु व्यक्ति का होगा। जैसे-हथियार, शराब, विदेशी मुद्रा इत्यादि।

Remark : वित्त आयोग तथा अंतराज्य परिषद के अध्यक्षों की नियुक्त प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं।

अनुच्छेद 300 (क)-सम्पत्ति का अधिकार

- ★ जो अभी कानूनी या विधिक अधिकार हो गया है। कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती किन्तु सरकार छीन सकती है।

भाग-XIV अनु. (308 - 323)

संघ एवं राज्य लोक सेवा

- ★ लॉर्ड मैकाले के शिफारिश पर 1855 में डलहौजी के शासन काल में लंदन में Civil सेवा की परीक्षा आयोजित कि गई तब इसे Indian Civil Service (ICS) कहा जाता था।
- ★ 1919 के अधिनियम द्वारा भारत में Civil सेवा आयोग का गठन किया गया।
- ★ भारत में पहली बार Civil सेवा की परीक्षा 1922 में इलाहाबाद में किया गया। (लॉड रीडिंग)
- ★ Civil सेवकों के पद की रक्षा की चर्चा 311 में है, इसके अनुसार Civil सेवकों को बिना किसी ठोस कारण के नहीं हटाया जा सकता है।
- ★ Civil सेवकों को पद से हटाने की चर्चा अनु. 317 में है इसके अनुसार इन्हें हटाने के लिए न्यायालय में कदाचार (Corruption) का मुकदमा चलाना होगा और उस आधार पर उन्हें राष्ट्रपति हटाएंगे।
- ★ अनु. 312 : - अखिल भारतीय सेवा के सृजन करने का अधिकार राज्यसभा संसद को देती है और दोनों मिलकर अखिल भारतीय सेवाक का सृजन (निर्माण) करते हैं।

सेवा	नियुक्ति	वेतन	क्षेत्राधिकार	उदाहरण
1. अखिल भारतीय सेवा	केन्द्र	केन्द्र	भारत	IPS, IAS, IFS
2. केन्द्रीय सेवा	केन्द्र	केन्द्र	भारत	Rail, Bank, PO, SSC, IFC
3. राज्य सेवा	राज्य	राज्य	राज्य	Police, BSSC, BPSC (PCS)

- ★ अनु. 312 : - इसमें संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) तथा राज्य सेवा आयोग (BPSC / PCS) की चर्चा है।
 - ★ इनकी अध्यक्ष की नियुक्ति क्रमशः राष्ट्रपति तथा राज्यपाल करते हैं।
 - ★ यह 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष कार्यकाल तक रहते हैं।
 - ★ इनका मुख्य कार्य विभिन्न प्रतियोगी परिक्षाओं को आयोजित करना है।
- Remark :** संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य जब पद से त्यागपत्र दे देते हैं या हटाया जाता है, तो वे कोई भी सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं।
- ★ संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) राज्य लोक सेवा आयोग (PCS) को दिशा निर्देश देती है। तथा उनके वार्षिक Report की जाँच करती है।
 - ★ राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य पदों उन्नति (Promotion) के बाद संघ लोक सेवा आयोग में जाते हैं अर्थात् ये दोनों आपस में संबंधित हैं।
 - ★ संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक Report राष्ट्रपति को सौंपती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक Report राज्यपाल को सौंपती है ये अपना त्यागपत्र क्रमशः राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को देते हैं इन्हें वेतन संचित निधि से दिया जाता है।

भाग-14 (क) न्यायाधिकरण (Tribunal)

(अनु. - 323 (क, ख))

- ★ विवादों के त्वरित निपटा के लिए Tribunal का गठन किया जाता है।
- e.g. : - पर्यावरण संबंधि विवाद सुलझाने के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (National Green Tribunal) NGT करते हैं। इसके अध्यक्ष आदर्श कु. गोयल है। (वर्तमान)

भाग-15 (निर्वाचन / चुनाव)

(अनु. - 324 - 325)

- ☞ **अनु. (324) :** - इसमें चुनाव आयोग की चर्चा है। यह एक संवैधानिक पद है।
- ★ प्रारंभ में निर्वाचन आयोग एक सदस्यी था किन्तु तारकोंडे समिति के सिफारिश पर 61वां संशोधन हुआ और चुनाव आयोग को 3 सदस्यी बना दिया गया। तीनों सदस्य की शक्तियाँ समान होती हैं।
- ★ इसी संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया।
- Note :** - वोट देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत एक राजनीतिक अधिकार है।
- ★ निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं।
- ★ इनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष तक होता है।
- ★ यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, इन्हें हटाने के लिए महाभियोग्य जैसी प्रक्रिया लानी होती है।
- ★ निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति, लोकसभा-राज्यसभा विधान सभा तथा विधानपरिषद का निर्वाचन करती है।
- Remark :** - PM तथा CM का निर्वाचन नहीं नियुक्त होती है, जबकि पंचायत तथा नगरपालिका का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करती है।
- ★ जिला का सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी DM होता है।
- ★ निर्वाचन आयोग समय-समय पर मतदाता सूची, Voter Card बनाती है।
- ★ यह जाति धर्म या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का नाम न जोड़ सकती है और न हटा सकती है।
- ★ निर्वाचन आयोग आचार सहित की घोषणा करती है, जो चुनाव से संबंधित नियम कानून होता है।
- ★ चुनाव समाप्त होने के 48 घंटा पहले या प्रारंभ होने के 36 घंटा पहले चुनाव प्रचार रोक दिया जाता है।
- ★ कोई सदस्य यदि आयोग्य है और वह निर्वाचित हो चुका है तो उसकी अयोग्यता की जानकारी निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति या राज्यपाल को दे देते हैं और वे ऐसे सदस्य को हटा देते हैं।
- ☞ **आम चुनाव :-** जब कोई सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेती है तो उस समय हुआ चुनाव आम चुनाव कहलाता है। यह पूरे 5 वर्ष के लिए होता है।
जैसे- 2014, 2019 की लोकसभा
- ☞ **मध्यवर्ती चुनाव :-** जब कोई सरकार अपनी 5 वर्ष की कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है, तो उसके स्थान पर कराया गया चुनाव मध्यवर्ती चुनाव कहलाता है। यह पुरे पाँच वर्ष के लिए होता है।
- ☞ **उप चुनाव :-** किसी सदस्य का सीट खाली होने पर उसके स्थान पर कराया गया चुनाव उप-चुनाव कहलाता है, यह बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है।
- ☞ **प्रॉक्सी मतदान :-** सैन्य कर्मचारी या विदेश में कार्यरत अधिकारी जब अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को मतदान के लिए कहते हैं, तो उसे प्रॉक्सी मतदान कहते हैं।
- ☞ **प्रत्यावर्तन का अधिकार :-**
 - ★ यह एक विशेष प्रकार का अधिकार है, जिसके तहत जनता चुने गए नेता को कार्यकाल पूरा होने से पहले मतदान के माध्यम से वापस बुला सकती है, यह केवल मध्यप्रदेश में लागू है और वे भी पंचायत स्तर पर।
 - ★ किसी दल के Party को चुनाव चिन्ह देना, क्षेत्रीय दल घोषित करना, राष्ट्रीय दल घोषित करना निर्वाचन आयोग का कार्य होता है।
- ☞ **क्षेत्रीय दल के लिए शर्तें :-**
 - ★ क्षेत्रीय दल के लिए तीन शर्तें हैं, किसी एक शर्त को पूरा करने पर भी उसे क्षेत्रीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा।

1. उस राज्य के विधानसभा चुनाव में कम से कम दो सीट।
2. उस राज्य के विधानसभा चुनाव में कम से कम 3% सीट
3. उस राज्य में डाले गए कुल Vote का 80% Vote.

राष्ट्रीय पार्टी के लिए शर्तें :-

1. एक ही राज्य में लोकसभा की 11 सीटें।
2. एक ही राज्य में लोकसभा की 2% सीट।
3. तीन अलग-अलग राज्यों में कुल 4 सीट।

इनमें से कोई एक शर्त पुरा करने पर राष्ट्रीय दल घोषित कर दिया जाएगा।

★ राष्ट्रीय दल घोषित हो जाने के बाद उस पार्टी को स्थायी चुनाव चिह्न सरकारी आवास तथा सुरक्षा उपलब्ध कराया जाता है।

राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6 है। :-

राष्ट्रीय दल (NATIONAL PARTY)

1. काँग्रेस (185) – 4.0 ह्यूम - पंजाब
2. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) – 1925 – M.N राय - धान काटता किसान
3. मार्क्स वादी कम्यूनिस्ट पार्टी (माकपा) – 1964 – PA डांगे – हश्वा हथौड़ी
4. भारती जनता पार्टी (BJP) – 1980 – अटल बिहारी वाजपेयी-कमल
5. बहुजन समाज पार्टी (बसपा) – 1984 – कासीराम - हाथी
6. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (NCP) – 1992 – शरद पवार - टेबल घड़ी

दल-बदल

दल-बदल निरोध कानून :-

इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। इस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे।

★ दल-बदल को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया।

Note : दल-बदल कानून निर्वाचित आयोग के सिफारिश पर अध्यक्ष तथा सभापति लगाते हैं। जिस व्यक्ति पर दल-बदल का कानून लग जाता है। उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है।

निम्न परिस्थितियों में दल-बदल कानून लगता है :-

- (i) यदि कोई अपनी पार्टी को बदल कर दूसरी पार्टी को Join कर ले।
- (ii) यदि निर्दलीय उम्मीदवार किसी पार्टी का सदस्य बन जाए।
- (iii) यदि पार्टी की सदस्यता त्यागकर दूसरी पार्टी Join कर ले।
- (iv) यदि पार्टी के दिशा-निर्देश के विपरीत मतदान करे।
- (v) यदि मतदान के समय वह अनुपसीति रहे और 15 दिन के अंदर पार्टी अध्यक्ष उसे माफ न करे।

निम्नलिखित परिस्थितियों में दल-बदल कानूनी नहीं लगता है :-

- (i) यदि पार्टी का गठबंधन हो जाए तो
e.g. – NDA और UPA.
- (ii) यदि पार्टी ने ही उस सदस्य को ही निकाल दिया हो, तो
e.g. – शत्रुघ्न सिंह।
- (iii) यदि 1/3 सदस्य पार्टी को छोड़कर निकल जाए तो

(iv) यदि 1/3 सदस्य किसी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए।

(v) यदि दो या अधिक पार्टियों का आपस में विलय हो जाए तो

Remark :- दल-बदल कानून के बाल चुनाव जीते हुए व्यक्ति पर लगता है न कि चुनाव हारे हुए व्यक्ति पर

बैलेट पेपर


- ★ भारत में मतदान के लिए बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता था जिसे मतदान पेटी में जमा किया जाता था। किंतु इससे गिनती में बहुत अधिक समय लग जाता था। जिस कारण Electronic Voting Machine (EVM) का प्रयोग किया गया।
- ★ पंचायत तथा नगर-पालिका के चुनाव में आज भी बैलेट पेपर का प्रयोग होता है।
- ★ EVM का पहला प्रयोगिक परिक्षण 1982 में केरल के उपचुनाव में हुआ था।
- ★ EVM का व्यापक प्रयोग 1998 के विधान सभा के चुनाव में हुआ। (राजस्थान)
- ★ 2004 के लोकसभा के चुनाव में EVM का प्रयोग पूरे देश में हुआ।
- ★ 2013 में Non of the above (NOTA) का प्रयोग किया गया। (छत्तीसगढ़ में)
- ★ EVM मशीन में एक अलग से VVPAT (Voter Verification paper Audit trial) का प्रयोग किया गया।
- ★ इसका प्रथम प्रयोग 2017 से प्रारंभ हुआ। यह मतदान के बाद मतदाता को इस बात की जानकारी देता है, कि वह किस प्रत्याशी को वोट दिया है।
- ★ वर्तमान VVPAT के M-4 वर्जन (version) (संस्करण) का प्रयोग हो रहा है।
- ★ मतदान की स्थाही Silver Nitrate की होती है।
- ★ 25 Jan को मतदान दिवस मनाया जाता है।

भाग-16


अनुच्छेद 230-342

कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान :-

- ★ 330 → L.S में SC/ST के सीटों का आरक्षण।
- ★ 331 → L.S में Angle Indians
- ★ 332 → V.S में SC/ST
- ★ 333 → V.S में Angle Indians
- ★ 334 → L.S में SC/ST = 2020
- ★ 335 → नौकरी या सेवा तथा Promotion में SC/ST
- ★ 336 → सेवा तथा Promotion में Angle Indian
- ★ 337 → Angle Indian के लिए शैक्षणिक आरक्षण
- ★ 338 → SC आयोग [7 = सदस्यी]
- ★ 339 → SC + ST प्रशासन तथा कल्याण का कार्य करना केन्द्र का कर्तव्य होगा।
- ★ 340 → पिछड़ा वर्ग आयोग



OBC → 27%.....



- ★ 341 = SC (कौन Cast को SC तथा ST में शामिल किया जाना है राष्ट्रपति का काम है, संसद के सलाह पर)
 - ★ 342 = SC
 - ★ ब्रिटिश काल में भारत के जनजातियों को अपराधी घोषित कर दिया था। अंग्रेजों ने इनकी जमीनें छीन ली थी। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने 31 Aug 1952 को इन्हें अपराधी के श्रेणी से हटा दिया जिस कारण ये जनजाती 31 Aug. को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं।
अनु०-330 → L.S. में SC/ST के सीट का आरक्षण ।
(SC = 84 सीट, ST = 97 सीट)
 - ★ अनु०- 331 → L.S. में दो Angle Indian को राष्ट्रपति मनोनित करेंगे।
विधानसभा में SC/ST के सीटों का आरक्षण।
 - ★ अनु०- 332 → विधान सभा में एक Angle Indian को राज्यपाल मनोनित करते हैं।
 - ★ अनु०- 333 → विधान सभा में Angle Indian को राज्यपाल मनोनित करते हैं।
 - ★ अनु०- 334 → L.S तथा V.S में SC/ST का आरक्षण 2020 तक बना रहेगा।
 - ★ अनु०- 335 → नौकरी तथा प्रमोशन में SC/ST को आरक्षण
 - ★ अनु०- 336 → नौकरी तथा प्रमोशन में Angle Indian को आरक्षण
 - ★ अनु०- 337 → Angle Indian को शैक्षणिक अनुदान (scholorship)
 - ★ अनु०- 338 → SC आयोग → इसका गठन 65वां संशोधन 1990 द्वारा किया गया यह 7 सदस्यी है।
 - ★ अनु०- 338(क) → ST आयोग → इसका गठन 89वां संशोधन 2003 द्वारा किया गया यह 5 सदस्यी है।
 - ★ अनु०- 339 → SC तथा ST दोनों के प्रशासन तथा कल्याण 'केन्द्र' का कर्तव्य होगा।
- Remark:-** SC तथा ST आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के 6 सलाह पर राष्ट्रपति 3 वर्ष के लिए करते हैं। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को शाँपती है। आयोग का अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री के बराबर शक्ति रखता है।
- ★ अनु०-340 :- यह एक वैधानिक निकाय है जिसकी शिफारिश मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है।
पहला पिछला वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका कालेकर थे।
दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग 1879 में जनता पार्टी के मोरारजी देशाई ने गठित किया।
दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग अर्थात मंडल आयोग ने OBC को 27% आरक्षण की बात कही।
मंडल आयोग के शिफारिश को 1990 में विश्वनार्थी प्रताप सिंह ने लागु किया।
1992 में Supreme Court ने कहा कि OBC को आरक्षण आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा होने पर दिया जाय अर्थात् Economicat Backword Cast (EBC) के आधार पर।
 - ★ Supreme Court ने इसके लिए OBC में दो श्रेणियाँ बना दी-
 1. **कृमिलियर** :- इसमें वैसे OBC आते हैं, जिसके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से अधिक है। इन्हें मंडल आयोग का 27% आरक्षण नहीं दिया जाता है।
 2. **Non-Crimilare** :- इसमें वैसे OBC आते हैं, जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से कम है, इन्हें मंडल

आयोग के 27% आरक्षण को दिया जाता है।

- ★ OBC को BC-I तथा BC-II में भी बाँट सकते हैं।
- ★ S.C. ने किन्नर या हिजरा को Third Gender में रख दिया और 2014 में उन्हें OBC जाति में रखा गया।

SC → Shedula Cast

ST → Shedula Tribs

OBC → Other Backword Cast

EBC → Economical Backword Cast

BC-I → Backword Cast-I

BC-II → Backword Cast-II

अनु०-341 → किसी जाति को राष्ट्रपति SC जाति घोषित कर सकते हैं।

अनु०-342 → किसी जाति का राष्ट्रपति ST जाति (अनुसूचित जनजाति) घोषित कर सकते हैं।

Remark :- राष्ट्रपति द्वारा घोषित किसी जाति को SC/ST (श्रेणी) जाति को बाहर निकालने का अधिकार संसद को है।

Note :- अनुसूचित जनजाति (ST) का निर्धारण सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर होता है।

1. सबसे पुरानी जनजाति - यरबा जनजाति
2. सबसे बड़ी जनजाति - गोंड
3. सबसे खतरनाक जनजाति - सेंटलीन
4. दिवाली को शोक के रूप में → थारू जनजाति
5. सर्वाधिक SC → U.P.
6. सर्वाधिक ST → M.P.
7. अनुसूचित जातियों का सर्वाधिक घनत्व → पंजाब
8. मातृसंतात्मक → खासी नगर जनजाति

सामाजिक सुधार अधिनियम :-

- (i) बंधुआ मजदूर उन्मूलन = 1976
- (ii) बाल श्रम उन्मूलन = 1986
- (iii) अल्पसंख्यक आयोग = 1992
- (iv) पिछड़ा वर्ग आयोग = 1993
- (v) निः शक्त जन आयोग = 1995

Remark :- अल्पसंख्यक का निर्धारण धर्म तथा भाषा के आधार पर किया जाता है। जबकि आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाता है।

भाग-17

राजभाषा

अनुच्छेद 343-351

राष्ट्रभाषा = देश की सबसे लोकप्रिय भाषा

e.g. Hindi → India, Urdu → Pak

राज्यभाषा = राज्य की सबसे लोकप्रिय भाषा

- ★ हर राज्यों की लोकप्रिय भाषा अलग-अलग हो सकता है।

e.g. महाराष्ट्र = मराठी

गुजरात = गुजराती

बिहार = हिन्दी

राजभाषा = Official Language = दरबारी = Paper work

→ संघ की राजभाषा – हिन्दी
(सहायक राजभाषा-अंग्रेजी)

→ राज्य की राज भाषा
नागालैण्ड – अंग्रेजी
बिहार – हिन्दी

■ **राजभाषा (Official Language) :-**

- ★ इसे दरबारी भाषा भी कहा जाता था। जिस भाषा में कामकाज या Paper work की जाती है, उसे राजभाषा कहते हैं।
- ★ संघ की राजभाषा अलग है। राज्य की राज्यभाषा अलग-अलग है।
- ★ 14 sept 1949 को आयंगर formula के आधार पर Hindi को देश की राजभाषा घोषित कर दिया गया। इसी कारण 14 sept को हिन्दी दिवस मनाया जाता है।
- ★ हिन्दी को राष्ट्रभाषा सर्वप्रथम नर्मदा जी ने कहा।
- ★ हिन्दी को राजभाषा की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किया।
- ★ भारत में 44% लोग हिन्दी बोलते हैं।

Remark :- संविधान हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं करता है किंतु हिन्दी को राजभाषा (Official Language) घोषित करता है।
अनु०-343 → संघ की राजभाषा हिन्दी को घोषित किया गया है।

अनु०-343 → राजभाषा आयोग की चर्चा है।

- ★ प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे।

अनु०-345 → राज्य की राजभाषा की चर्चा है।

- ★ राज्यों की राजभाषा अलग-अलग है।
- ★ नौ राज्यों की राजभाषा हिन्दी है।
- ★ मेघालय, मिजोरम तथा नागालैण्ड की राजभाषा Eng. है।

Remark :- English संघ (केन्द्र) तथा सभी राज्यों के लिए सहायक राजभाषा है।

- ★ बिहार की राजभाषा हिन्दी तथा Urdu है।

जम्मु काश्मीर की राजभाषा Urdu तथा Hindi है।

- ★ उत्तराखण्ड की राजभाषा Hindi तथा संस्कृत है।

अनु०-346 :- पत्रदी या पत्राचार (Communication) की राजभाषा Hindi या अंग्रेजी होगी।

- ★ अनु०-347 :- किसी राज्य की जनसंख्या के मांग पर किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा राष्ट्रपति दे सकते हैं।

अनु०-348 :- Supreme Court तथा हाईकोर्ट राजभाषा English है।

- ★ अनु०-349 :- राजभाषा संबंधी सुधार के लिए राजभाषा आयोग या संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का गड़न किया जाता है और इसके सिफारिश को संसद से 2/3 बहुमत से पारित कराया जाता है।

- ★ पहला राजभाषा आयोग बाल गंगाधर खेर (B.G खेर) के नेतृत्व में जबकि पहला JPC गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में बनायी गई।

- ★ अनु०-350 :- किसी व्यथा या शिकायत के संबंधित अधिकारी को सूचना किसी भी भाषा में दी जा सकती है। जरूरी नहीं कि

वह राजभाषा में हो।

★ अनु०-350(क) :- प्राथिमिक शिक्षा की मातृभाषा (राजभाषा) में दिया जाएगा।

★ अनु०-350(ख) :- भाषायी अल्पसंख्यकों को विशेष प्रावधान।

Remark :- अल्पसंख्यक का दर्जा भाषा तथा धर्म के आधार पर दिया जाता है, जबकि आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाता है।

★ अनु०-351 :- हिन्दी भाषा का विकास करना सरकार का कर्तव्य होगा।

→ **भाषा संबंधित कुछ अलग से प्रावधान :-**

★ अनु०-29 तथा 30 में भाषायी अल्पसंख्यक को के शिक्षा का प्रावधान है।

★ अनु०-120 में कहा गया है कि संसद में केवल हिन्दी या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा।

★ अनु०-210 में कहा गया है कि संसद में केवल हिन्दी या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा।

★ अनु०-210 के अनुसार विधानमंडल में अंग्रेजी या उस राज्य के राजभाषा का प्रयोग होगा।

$$\text{अनुसूची} = (22 - \text{भाषा})$$

प्रारंभ = 14

21वाँ (1967) = 1 सिंधी

71वाँ (1992) = 3 (नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी)

92वाँ (2003) = 4 (बोडो, डोगरी, मैथली, संथाली)

Total = 22 — भाषा

Note :- राजस्थानी, भोजपुरी तथा अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है।

→ **शास्त्री (Classical) भाषा :-**

★ 1500 ईसा पूर्व की भाषाओं को शास्त्री भाषा कहा जाता है।


2004 में इन्हें मान्यता दिया गया।

इनकी कुल संख्या 6 है।-

कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मल्यालम, उड़िया, संस्कृत

Note :- कन्नड़, तेलगु, तमिल, मल्यालम (South walor charo) को संयुक्त रूप से द्रवित भाषा कहा जाता है।

★ पाकिस्तान के ब्लूचिस्तान की ब्राह्मी भाषा भारत के द्रवित भाषा से मेल खाती है।



भाग-XVIII

आपातकाल

अनुच्छेद 352-360

- ★ राष्ट्रीय एकता अखण्डता तथा सुरक्षा को बनाये रखने के लिए आपातकाल का प्रावधान है। आपात के दौरान संघीय व्यवस्था पर प्रतिकुल (Negative) प्रभाव पड़ता है।
 - ★ हृदयनाथ कुंज ने आपातकाल को सर्विधान के साथ घोषणा कहा है। आपातकाल तीन प्रकार के होते हैं।
 - ★ अनु०-352 :- राष्ट्रीय आपात
 - ★ यह युद्ध या शस्त्र विरोध के समय लाया जाता है। 44वां संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति पर लाये जाने वाला प्रभाव समाप्त कर दिया गया।
 - ★ इसे मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति लागू करते हैं।
 - ★ संसद इसे 30 दिन के भीतर 2/3 बहुमत से पारित या अनुमोदित करती है।
 - ★ मंत्रीमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति आपात को वापस ले सकते हैं।
 - ★ लोकसभा 14 दिन पुर्व सूचना देकर 1/10 मत से पारित करके आपातकाल को हटा सकती है।
 - ★ अनु०-353 :- राष्ट्रीय आपात का प्रभाव
 1. अनु० 20, 21 को छोड़कर शेष मूल अधिकार निर्लिपित हो जाते हैं।
 2. विधान सभा निर्लिपित नहीं होती है।
 3. संसद राज्य सूची में कानून बना सकता है।
 - ★ अनु०-354 :- राष्ट्रपति वित्तीय नियमों में बदलाव कर सकते हैं। अतः राज्यों में दिया जाने वाला 42% धन में कटौति की जा सकती है।
 - ★ अनु०-355 :- बाह्य आक्रमण तथा शस्त्र विद्रोह से राज्यों की रक्षा केन्द्र का कर्तव्य है।
 - ★ अनु०-356 :- राष्ट्रपति शासन
 - ★ इसे मंत्रिमंडल के मौखिक सिफारिश पर राष्ट्रपति लागू करते हैं तथा 60 दिन के भीतर संसद को साधारण बहुमत 1/2 से पारित या अनुमोदित करना होता है।
 - ★ अनु०-357 :- राष्ट्रपति शासन का प्रभाव
 1. विधानसभा निर्लिपित हो जाती है।
 2. मूल अधिकार निर्लिपित नहीं होता है।
 3. राज्य का बजट संसद में प्रस्तुत होने लगता है।
 - ★ अनु०-358 :- राष्ट्रीय आपात (352) के समय अनु०-19 की सभी स्वतंत्रताएं स्वतः निर्लिपित हो जाती हैं।
 - ★ अनु०-359 :- राष्ट्रीय आपात (352) के समय अनु०-20 & 21 को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकार राष्ट्रपति निर्लिपित कर सकते हैं।
 - ★ अनु०-360 :- वित्तीय आपात
 - ★ इसे मंत्रिमंडल के मौखिक सिफारिश पर राष्ट्रपति लाते हैं तथा 60 दिनों के भीतर संसद साधारण बहुमत (1/2) से अनुमोदित या पारित करती है।
 - ★ वित्तीय आपात के समय राष्ट्रपति को छोड़कर शेष सभी कर्मचारियों के वेतन काट लिए जाते हैं। यह अब तक लागू नहीं हुआ है।
- Remark :-** (i) राष्ट्रीय आपात को 6-6 महिने के अनुमोदन के बाद अनंतकाल तक बढ़ाया जा सकता है।

- (ii) राष्ट्रपति शासन को 6–6 महिने अनुमोदन करके '3' साल तक बढ़ाया जा सकता है।
- (iii) वित्तीय आपात तथा राष्ट्रपति शासन एक बार अनुमोदन के बाद तब तक लागू रहता है, जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता।
- (iv) राष्ट्रीय आपात तथा राष्ट्रपति शासन जर्मनी से जबकि वित्तीय आपात USA से लिया गया है।
- (v) 42वां संशोधन 1976 द्वारा इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपात का दुरूपयोग किया। जबकि 44वां संशोधन 1978 द्वारा मोरारजी देसाई ने इस दुरूपयोग को समाप्त किया।

भाग-XIX

प्रमुख उपबंध

अनुच्छेद 361-367

- ★ अनु०-361 :- राष्ट्रपति, राज्यपाल या किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष की फौजदारी मुकदमा के लिए न्यायालय का सामना नहीं करना पड़ेगा अर्थात् न्यायालय से संरक्षण है।
अगर इन्हें सजा हो भी जाती है, तो राष्ट्रपति अनु०-72 के तहत, राज्यपाल अनु०-161 के तहत तथा विदेशी राष्ट्राध्या वियना संधि के तहत सजा से मुक्त हो सकता है।
- ★ अनु०-362 :- भारतीय राजाओं का विशेष संरक्षण (वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है)
- ★ अनु०-363 :- किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या कसर पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी।
- ★ अनु०-364 :- महापत्न (बड़े बंदरगाह), वायुपत्न (बड़े Airport) केन्द्र के अधीन रहेंगे।
- ★ अनु०-365 :- राज्य केन्द्र के दिशा-निर्देशों को पालन करने के लिए बाध्य होंगे।
- ★ अनु०-366 :- कुछ परिभाषाएँ
 - (i) Anglo Indian :- जब भारत गुलाम था तो अंग्रेजों के संतान जो भारतीय माँ से पैदा हुए हो किंतु स्वतंत्रता के बाद अंग्रेज अपने परिवार को छोड़कर चले गए। उन्हें Anglo Indian कहते हैं। ये केवल यूरोपियन देशों पर लागू होता है। क्योंकि भारत को गुलाम बनाने वाले सभी देश यूरोप के थे।
 - (ii) उधार (Depth) :- इसे लौटाने के लिए व्यक्ति बाध्यकारी नहीं होता है।
 - (iii) ऋण (Loan) :- इसे लौटाने के लिए व्यक्ति बाध्यकारी होता है।
 - (iv) शुल्क (Fee) :- किसी कार्य या सेवा के बदले लिया गया धन शुल्क कहलाता है। यह देना अनिवार्य है।
 - (v) कर (Tax) :- बिना कार्य के दो सरकार द्वारा लिया जाने वाला अनिवार्य धनराशि 'कर' कहलाता है।
 - (vi) चंदा (चैरिटी या Donation or subscription) :- सामाजिक कार्य के लिए स्वेच्छा से दी गई धनराशि चंदा कहलाता है।
 - (vii) अनुदान (सबसिडी) :- किसी वस्तु को सस्ता करने के लिए सरकार द्वारा दी गई धनराशि अनुदान कहलाता है।
 - (viii) सहायता राशि :- किसी आपदा या विशेष कार्य हेतु मुक्त में दी गई धन राशि सहायता राशि कहलाता है।

भाग-XX

संशोधन (द० अफ्रीका)

- ★ अनु०-363 :- संशोधन की प्रक्रिया द० अफ्रीका से लिया गया है। संशोधन की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। यदि एक सदन ने इसको पारित कर दिया तथा दूसरा सदन संशोधन को पारित नहीं किया तो संशोधन विधेयक शब्द हो जाएगा।
- ★ संविधान सभा में अम्बेडकर जी ने कहा था हमने भारतीय संविधान को इंग्लैण्ड के समान लचीला नहीं बनाया है और न ही USA के समान कठोर बनाया है। जो भी व्यक्ति इस संविधान से असंतुष्ट है। वह इसमें संशोधन कर सकता है इसके लिए उसे बहुमत की आवश्यकता है।
- ★ संशोधन तीन प्रकार से हो सकते हैं-

- साधारण बहुमत** :- इस विधि द्वारा संशोधन करने के लिए उपस्थित सदस्यों के आधे से अधिक की आवश्यकता होती है। इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। यह संशोधन न होकर एक मामूली सुधार है। अतः इसे अनु० 368 के बाहर रखा गया है।

★ इस विधि द्वारा निम्नलिखित संशोधन होते हैं-

e.g. वेतन में वृद्धि, विदेशी राज्य का भारत में विलय (अनु०-2), वर्तमान राज्य में परिवर्तन (अनु० 3), विधान परिषद का सृजन (अनु०-169) अनुसूची 1, 2, 5, 6, 8 में परिवर्तन साधारण बहुमत से कर है।

- विशेष बहुमत** :- इस विधि द्वारा संशोधन के लिए उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक संशोधन इसी विधि द्वारा भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन किया जा सकता है।

e.g. मूल अधिकार भाग-III, नीति निदेशक तत्व भाग-4 में संशोधन।

- विशेष बहुमत + आधी से अधिक राज्य की सहमति** :-

★ यह संशोधन की सबसे कठोर विधि है। इस विधि द्वारा संशोधन करने के लिए केन्द्र को विशेष बहुमत से तथा आधी से अधिक राज्यों को साधारण बहुमत से पारित करना होता है। इस विधि द्वारा वैसे विषयों में संशोधन किया जाता है। जिससे राज्यों का हित जुड़ा हो। अर्थात् यह विधि संघीय ढाँचा बनाये रखने के लिए है।

e.g. (i) विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में संशोधन

(ii) समवर्ती सूची, राष्ट्रपति के निर्वाचक प्रणाली, राज्यों पर लगने वाला Tax (GST)

(iii) संशोधन प्रक्रिया में नई विधि को जोड़ना या वर्तमान विधि को हटाना इसी विधि द्वारा होगा।

Remark :- राष्ट्रपति के महाभियोग में कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत लिया जाता है जबकि संशोधन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत लिया जाता है।

मूल अधिकार से संबंधित कुछ निर्णय

1. **शंकरी प्रसाद विवाद** :- इसमें Supreme Court ने कहा कि संसद मूल अधिकार (भाग-III) के साथ-साथ संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है।

2. **सज्जन सिंह विवाद** :- शंकरी प्रसाद विवाद को same

3. **गोलक नाथ विवाद** :- इसमें ग्यारह जज थे यह दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। इसमें Supreme Court ने कहा कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है।

4. **केशवानन्द भारती** :- इसमें 13 जज थे। यह सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। इसमें कहा गया है कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है किन्तु संविधान का मूल ढाँचा प्रभावित नहीं होना चाहिए।

e.g. - 39वां संशोधन 1975 में यह व्यवस्था किया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा P.M. के चुनाव में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी। किन्तु इसे Supreme court ने मूल ढाँचा के विपरित बातकर रद्द कर दिया। (उस समय PM इंदिरा गांधी थी)

5. **मिनरमा मील** :- इसमें Supreme Court ने कहा कि संसद को संशोधन करने की शक्ति सीमित है।

e.g. - 42वां संशोधन 1975 में यह कहा गया कि संसद को संशोधन की असीमित शक्ति प्राप्त है किन्तु Supreme Court ने मिनरमा मील का हवाला देकर रद्द कर दिया।

Remark :- किसी संवैधानिक पीठ में कम से कम 5 जज होना चाहिए।

★ केशवानन्द में 13 जज तथा गोलक नाथ में 11 जज थे।

प्रमुख संशोधन

1. **प्रथम संशोधन (1951)** :- इसके द्वारा जमीनदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार किया गया। जिसे 9वीं अनुसूचित में जोड़ा गया।

★ Supreme court 9वीं अनुसूचि में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

2. **सातवां संशोधन (1956) :** - इसके द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को संविधानिक मान्यता दिया गया। साथ ही यह व्यवस्था किया गया कि एक ही व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है।
3. **आठवां संशोधन (1960) :-** इसके द्वारा लोक सभा तथा विधानसभा में SC/ST के सीटों को 1960 से बढ़ाकर 1970 तक कर दिया गया।
4. **45वां संशोधन (2010) :-** इसके द्वारा आरक्षण को 2010 से 2020 तक कर दिया गया है।
Remark :- मूल संविधान में सीटों का आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए था जो 1960 में समाप्त हो जाना था किन्तु इसे संशोधन कर करके आरक्षण को 2020 तक लाया गया है।
5. **अठारहवा संशाधन (1966) :-** शाह आयोग के सिफारिश पर पंजाब का पुनर्गठन।
 - (i) पंजाबी भाषा क्षेत्र = पंजाब
 - (ii) हिन्दी भाषा क्षेत्र = हिमाचल प्रदेश
 - (iii) हिमालय पर्वतीय क्षेत्र = हिमाचल प्रदेश
 - (iv) केन्द्रशासित प्रदेश = चंडीगढ़
6. **35वां संशोधन (1974) :-** इसके द्वारा सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया गया इससे पहले सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य था।
7. **36वां संशोधन (1975) :-** इसके द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना।
8. **42वां संशोधन (1976) :-** इसे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया गया। 59 प्रावधान जोड़ने के कारण अत्यधिक विस्तृत हो गया। जिस कारण इसे मिनी संविधान कहते हैं। इसे इंदिरा गांधी ने लाया। यह लोकतंत्र पर प्रतिकूल (उल्टा) प्रभाव डालता था। यह भारत को एकात्मा बना रहा था।
★ इसमें राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया।
★ आपातकाल PM के सलाह पर लागू किया जाएगा।
★ आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू हो जाएगा।
★ लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया।
★ मूल कर्तव्य जोड़े गए।
★ प्रस्तावना में तीन नये शब्द जोड़े गए।
 - (a) समाजवादी (b) पंथ निरपेक्ष (c) एकता एवं अखण्डता।
9. **44वां संशोधन (1978) :-** इसके द्वारा 42वें संशोधन की कमियों को दूर किया गया। मोरारजी देसाई ने इसे लाया।
★ संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया।
★ राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह लौटाने के लिए अर्थात् एक बार पुनर्विचार का मौका दिया गया।
★ आपातकाल को PM के स्थान पर मंत्रिमंडल के सलाह पर किया गया।
★ आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया।
★ लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से पुनः 5 वर्ष किया गया।
10. **52वां संविधान संशोधन (1985) :-** दल-बदल को जोड़ा गया।
11. **61वां संशोधन (1989) :-** मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया।
निति आयोग -
12. **65वां संशोधन (1990) :-** SC आयोग का गठन

13. 89वां संशोधन (2003) : - ST आयोग का गठन
14. 123वां संशाधन (2018) : - OBC आयोग का गठन
15. 69वां संशाधन (1991) : - दिल्ली एवं पांडिचेरी में विधान सभा का गठन किया गया।
16. 70वां संशोधन (1992) : - दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया।
17. 73वां संशोधन (1992) : - पंचायती राज्य के 11वीं अनुसूचि में जोड़ा गया।
18. 74वां संशोधन (1992) : - नगरपालिका 12वीं अनुसूचि में जोड़ा गया।

भाग-21

अस्थायी, संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान (अनु. 369 – 92)

अनु. 369 : - राज्य सूची के विषय में संसद 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है।

अनु. 370 : - J & K


- ★ 26 अक्टूबर, 1947 को J & K भारत का अंग बना।
- ★ 26 नवम्बर, 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान पारित हुआ।
- ★ J & K के राज्यपाल को सद्र-ए-रियासत कहा जाता था। 1965 के बाद उसे राज्यपाल कहा जाने लगा।
- ★ जम्मू-कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता या अब 5 वर्ष का होगा।
- ★ J & K विधान सभा दो मलिला सदस्यों को मनोनित कर सकता था।
- ★ J & K में RTI, RBI तथा नीति निदेशक तत्व लागू नहीं होते थे।
- ★ J & K में सम्पत्ति का अधिकार मूल अधिकार था और यहाँ दोहरी नागरिकता थी।
- ★ J & K के स्थायी नागरिकों को विशेष छुट दी जाती थी।
- ★ कौन व्यक्ति स्थायी नागरिक है या नहीं इसका निर्धारण J & K विधानसभा अनु. 35 (A) के तत्व करती थी।
- ★ J & K की सीमाएं तब तक भारत की सीमाएं समझी जाएगी जब तक भारतीय संविधान में 370 है, इसी कारण संसद ने भी 370(A) नहीं हटाई गई।

अनु. - 371 : - महाराष्ट्र - गुजरात

371 (A) - नागालैंड

- (B) - असम
- (C) - मणिपुर
- (D) - आंध्रप्रदेश
- (E) - A.P. University
- (F) - सिक्किम
- (G) - मिजोरम
- (H) - अरुणाचल प्रदेश
- (I) - गोवा
- (J) - कर्नाटक

Trick :



- ★ अनु. 379 - 390 (निरसित / रद्द) कर दिया गया है।
- ★ अनु. 392 - कठिनाइयों को दूर करना राष्ट्रपति का कर्तव्य होगा।

भाग-22

संक्षिप्त नाम (अनु. 393 - 395)

- ★ अनु. 393 : - इस विधि पुस्तक का संक्षिप्त नाम “भारत का संविधान” है।
- ★ अनु. 399 : - इस संविधान के लागू होने की तीर्थि की चर्चा है।
- ★ संविधान 26 नवम्बर 1949 को बन गया किन्तु इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।
- ★ 26 नवम्बर 1949 को ही संविधान के 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया, जो निम्नलिखित हैं।
- अनु. 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394
- अनु. 394 (A) : - इसे 58वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत राष्ट्रपति के अनुमति से मूल संविधान जो अंग्रेजी में था इसे हिन्दी में अनुवाद किया गया।
- अनु. 395 : - इस संविधान के लागू होते ही (26 जनवरी 1950) इससे पहले के सभी अधिकनियम (1935, 1919, 1909) सभी ये नियम रद्द हो जाएंगे।

वरियता क्रम या पद सोपान

1. राष्ट्रपति
2. उपराष्ट्रपति
3. प्रधानमंत्री
4. राज्यपाल
5. भूतपूर्व राष्ट्रपति
6. स्पीकर - CJI
7. मंत्री विपक्ष
8. भारत रत्न विजेता
9. जज, UPSC, निवाचन, CAG

ED (प्रवर्त्तन निदेशालय) : - इसकी स्थापना 1956 में हुई। यह गैर कानूनी वित्तीय लेनदेन की जाँच करता है। विदेशों से आने वाले धन की भी जाँच करता है। इसका मुख्यालय दिल्ली है।

→ **(CBI) :** - इसकी स्थापना 1963 में के-संथानम के सिफारिश में हुई। प्रारंभ में यह दिल्ली पुलिस की ही साखा थी। यह भारत की सबसे बड़ी जाँच Agency है।

→ **CVC (Central Visilence Commission) केन्द्रीय सतर्कता आयोग :** - इसकी स्थापना 1964 में K-संथानम के सिफारिश पर हुई। यह सभी केन्द्रीय कर्मचारियों पर नजर रखता है ताकि भ्रष्टाचार में कमी आये। यदि किसी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत करनी हो, तो CVC के पास किया जाता है। इसके आयुक्त के कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहता है।

→ **संवैधानिक विकास :-**

★ संविधान कई वर्षों के सतत् विकास का परिणाम होता है।

★ संविधान का अर्थ होता है सभी के लिए बराबर कानून।

★ भारतीय संविधान का विकास सन् 1600 से प्रारंभ हो गया।

★ इंगलैण्ड भारत में कार्य कर रही ईस्ट इंडिया कम्पनी को नियंत्रित करने के लिए जो कानून बनाती थी, उसी का संग्रह भारतीय संविधान में दिखता है।

→ **चार्टर एक्ट / राज्य एक्ट :** - भारत का वह कानून जो सीधे England से बनकर आता था। चार्टर एक्ट कहलाता है।

e.g. - 1773, 1784, 1786, 1813, 1833, 1853

→ **भारत शासन अधिनियम (Government of India Act) :** - भारत का वह कानून जो भारत में ही बनाया जाता था। भारत शासन अधिनियम कहलाता था।

e.g. - 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935

→ **1773 का रेगुलेटिंग एक्ट :** - इसके द्वारा कलकत्ता में Supreme Court की स्थापना की गई। जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एजिला MP थी।

★ बंबई तथा मद्रास को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया।

★ बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया।

→ **पिट्स इंडिया एक्ट (1784) :-**

★ इसके द्वारा Company के भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास किया गया।

★ भारत में द्वैध शासन ला दिया गया जिसके तहत कम्पनियों के कार्यों को दो भाग में बांट दिया गया।

1. **निदेशक मंडल (Director) :** - यह भारत में रहते थे और व्यापारिक कार्यों को देखते थे।

2. **नियंत्रक मंडल (Controler) :** यह इंगलैण्ड में रहते थे राजनीतिक तथा सैन्य कार्यों को देखते थे।

→ **1786 का चार्टर एक्ट -**

★ इसके द्वारा पिट्स इंडिया Act की कमीयों को दूर किया गया।

★ भारत के गवर्नर को Veto Power तथा सैन्य शक्तियाँ दी गईं।

→ **1813 चार्टर अधिनियम :** -

★ इसके द्वारा भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष एक लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया।

★ ईसाई धर्म के प्रचार को अनुकरण किया गया।

★ कम्पनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया किन्तु भारतीय चाय तथा चीन देश से व्यापार एकाधिकार बना रहा।

→ **1833 का चार्टर अधिनियम :** -

★ कम्पनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसमें विधि सदस्य को जोड़ा गया।

→ **1853 का चार्टर अधिनियम :** - यह अंतिम चार्टर था। इसमें एक अलग से विधि परिषद गठन किया गया। कम्पनी के कर्मचारियों के खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

1857 का भारत शासन अधिनियम : -

- ★ इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कम्पनी, द्वैध शासन, निदेशक तथा नियंत्रण मंडल को समाप्त किया गया।
- ★ भारत का शासन ब्रिटेन के राजा को सौंप दिया गया। राजा के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय की नियुक्ति की गई।
- ★ वायसराय पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य सचिव की नियुक्ति की गई जो ब्रिटेन का मंत्री होता था।
- नोट : इंगलैण्ड की महारानी को 28 अप्रैल, 1876 को भारत की शासिका घोषित कर दिया गया।

1861 का अधिनियम :- इसके द्वारा विभागीय प्रणाली अर्थात् मंत्रीमंडल का गठन किया गया। तथा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई।

- ★ इस अधिनियम द्वारा IPC (Indian Penal Court) की धाराओं को बनाया गया।

1892 का भारत शासन अधिनियम : -

- ★ इसके द्वारा बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया तथा निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई।

1909 का अधिनियम : -

- ★ इसे मार्ले-मिण्टों सुधार भी कहते हैं, इसने फूट डालो और शासन करो के लिए मुस्लमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया।

1919 का भारत शासन अधिनियम : -

- ★ इसे मॉटरेंग्यू-चेम्सफोर्ट सुधार भी कहते हैं।
- ★ इसके द्वारा ईसाई तथा बौद्ध को पृथक क्षेत्र दियागया।
- ★ महिलाओं को Vote डालने का अधिकार दिया गया।
- ★ राज्यों में द्वैध शासन लागू किया गया और दो विषय बना दिया गया।
- ★ आरक्षित विषय वायसराय के पास थे।
- ★ हस्तांतरित विषय भारतीयों को सौंप दियागया।

भारत शासन अधिनियम (1935) : -

- ★ इसके द्वारा राज्यों को स्वायतता दिया गया। राज्य का द्वैध शासन समाप्त करके केन्द्र में द्वैध शासन लाया गया। एक मजबूत संघ का निर्माण किया गया।
- ★ बर्मा (म्यांमार) को भारत से अलग कर दिया गया।
- ★ प्रांतीय चुनाव (1935) कराया गया।
- ★ संविधान का 80% से अधिक भाग इसी से लिया गया है, अतः इसे संविधान का Blue Print कहते हैं।

कैबिनेट मिशन (March 1946) : -

इसे ब्रिटेन के PM किलीमेंट एटली ने भेजा था। इसमें 3 सदस्य थे-

- (i) क्रिप्स (ii) एलेकजेण्डर (iii) लारेंस (Trick : KAL)
- ★ कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता लारेंस के हाथ में थी। इस मिशन के आधार पर अंतिरिम सरकार (Provisional Government) का गठन किया गया। यह सरकार (1946- 51) तक शासन की। इसमें उपाध्यक्ष या प्रधानमंत्री के पद पर जबाहर लाल नेहरू थे।
- गृह मंत्री - सरदार पटेल
- खाद्य आपूर्ति - राजेन्द्र प्रसाद
- रेल मंत्री - अरुणा आसफ अली
- रक्षा मंत्री - बलदेव सिंह
- उद्योग मंत्री - जान मर्थाई
- ★ कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया। इसके सदस्यों के चुनाव के लिए 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन किया गया।

- ★ अखण्ड भारत से 389 सदस्यों का निर्वाचन हुआ, जिसमें 15 महिलाएँ थी।
- ★ स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान अलग हो गयाजिस कारण वहाँ के प्रतिनिधि अलग हो गए और संविधान में केवल 299 सदस्य ही अंतिम रूप से बचा।
- ★ अम्बेडकर ज का चुनाव बंगाल से हुआ किन्तु बंगाल अलग होने के कारण पुनः उनका निर्वाचन महाराष्ट्र से हुआ।
- ★ संविधान सभा में निर्णय सहमति के आधार पर ली जाती थी।
- ★ संविधान सभा के विभिन्न कार्यों को करने के लिए अलग-अलग समितियाँ बनाई गई।

1. संघ समिति	:	जवाहर लाल नेहरू
2. प्रांतीय समिति	:	सरदार पटेल
3. मूल अधिकार	:	सरदार पटेल
4. कार्य संचालन	:	K. N. मुंशी
5. झंडा समिति	:	T.B. कृष्णानी + राजेन्द्र प्रसाद
6. प्रारूप समिति	:	भीम राव अम्बेडकर
- ★ **प्रारूप समिति में सात सदस्य थे-**

1. अम्बेडकर	4. मुंशी
2. आयंगर	5. मित्र
3. अय्यर	6. सादुल्ला
	7. खेतान
- ★ संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 को हुई। इस दिन अस्थायी अध्यक्ष सचिदानन्द सिंह को चुना गया।
- ★ 11 दिसम्बर, 1946 को स्थायी अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद को चुना गया। B.N. राव को सलाहकार चुना गया।
- ★ 13 दिसम्बर, 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
- ★ 26 नवम्बर, 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। इसी दिन संविधान को अलंगकृत, आत्मर्पित, अधिनियमित कर लिया गया। इस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है किन्तु संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्योंकि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस 1930 से मनाते आ रहे थे।
- ★ 24 जनवरी, 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी।
- ★ कैबिनेट मिशन के आधार पर गठित संविधान में 389 सदस्य थे जिसमें 15 महिलाएं थे। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में 299 बचा था।
- ★ अंतिम रूप से संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किये जिसमें 8 महिलाये थी।
- ★ संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महिने 18 दिन का समय लगा।
- ★ संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं।
- संविधान के विदेशी स्रोत :-**
 - कनाडा : - संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट सूची, राज्यपाल, GST
 - USA : मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति, Supreme Court, न्यायिक पुनरावलोकन, महाभियोग, वित्तीय आपात प्रस्तावना।
 - आयरलैंड : - नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, मनोनित सदस्य।

Note : नीति निदेशक तत्व को आयरलैंड से स्पेन से लाया था और स्पेन ने इसे स्वयं बनाया था।

- (iv) जर्मनी :- आपात (विमर संविधान)
- (v) फ्रांस :- गणराज्य
- (vi) ब्रिटेन :- एकल नागरिकता, औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति, संसद की सर्वोच्चता, संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडल, सामुहिक उत्तरदायित्व, PM
- (vii) द. अफ्रिका :- संविधान संशोधन
- (viii) रूस (सोवियत संघ) :- मौलिक कर्तव्य, पंच वर्षीय योजना
- (ix) जापान :- अनु. 22 की कानुनी शब्दावली
- (x) ऑस्ट्रेलिया :- समवर्ती सुची, केन्द्रराज्य संबंध, संयुक्त, अधिवेशन, प्रस्तावना की भाषा।

राष्ट्रीय ध्वज :-


- ★ इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इसकी ल. चौ. में 3 : 2 का अनुपात होता है, जिसे पिंगली वैंकैया ने तैयार किया। इसका नीचला भाग हरा होता है, जो हरियाली का प्रतीक है, केसरिया ऊपर रहता है, जो बलिदान का प्रतीक है। बीच की सफेद पट्टी है, जो शांति का प्रतीक है। बीच में 24 तीलियों का चक्र है, जो प्रगति का संकेत है।
- ★ ध्वज नियम के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज दाहिनी तरफ होता है, और अन्य ध्वज से ऊपर रहता है।
- ★ जुलूस लेकर चलने वाला व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज लेकर चलेगा। और ध्वज दाहिना कंध में लेकर चलेगा।
- ★ सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले ध्वज नहीं फहराया जा सकता।
- ★ निजी संस्थानों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा सकता है, ध्वज का झुका देना राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है।



- ★ राष्ट्रीय ध्वज का उल्टा फहराना संकट का प्रतीक है।



- ★ राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग पटाका के रूप में नहीं हो सकता है।



राष्ट्रीय गान :-

- ★ इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। यह तत्व बोधनी कविता का 13 पर्कितयों वाला भाग है। इसे जन-गण-मन कहते हैं।
 - ★ इसे 52 सेकेण्ड में गाना होता है किन्तु विशेष परिस्थिति में 20 सेकेण्ड में गाया जाता है।
 - ★ इसे पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया।
 - ★ 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। जिसे "The Morning Song of India" कहते हैं।
 - ★ 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया।

राष्ट्रीय गीत :-

- ★ इसकी रचना बंकिम चन्द्र चट्टर्जी ने किया। इसे आनन्द मठ पुस्तक से लिया गया। जिसे बन्दे मात्रम कहते हैं।
 - ★ इसे पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गया गया। इसे 65 सेकेण्ड में गाना होता है। 24 जनवरी को इसे अपनाया गया।

राष्ट्रीय चिन्ह (अशोक चिन्ह) :-

- ★ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह शारनाथ का अशाक स्तंभ है, जिसमें चार शेर है, किन्तु 3 ही दिखाई देते हैं। इसके नीचे एक चक्र बना है, जिसके एक ओर सांड तथा दूसरी ओर घोड़ा है। जिसके नीचे देवनागरी लीपि में सत्य-मेव-जयते लिखा है, जिसे मुण्डकोपनिषद से लिया गया है।

★ इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया।

राष्ट्रीय पांचांग (कैलेण्डर) :-

- ★ प्रारंभ में भारत का पांचांग विक्रम सन्वत् था। किन्तु 22 मार्च 1957 को शक संवत् को अपना लिया गया। यह चन्द्रमा पर आधारित होता है।

★ यह 22 मार्च से प्रारंभ होता है।

महिना का नाम - चैत्र, वैशाख, जेष्ट, आसार, सावन, भाद्र, आस्विन, कर्तिक, अग्हन, पुष, माग, फाल्गुन

 प्रस्तावना :-

- ★ प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है, जबकि उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई।
 - ★ संविधान निर्माताओं की मनोभावना आदर्श प्रस्तावना में दिखते हैं।
 - ★ प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं।
 - ★ प्रस्तावना में संघ या व्यस्क मताधिकार की चर्चा नहीं है।
 - ★ S.C. प्रस्तावना को संविधान की भाग मानता है, और इसे संविधान की आत्मा कहते हैं।

Q. किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं ?

- ★ प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुता फ्रांस की क्रांति से लिया गया।
- ★ बेरूबरी तथा चमपकम दोड़ाई राजन विवाद 1960 में S.C. ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है।
- ★ केशवानन्द भारतीय विवाद 1973 में S.C. ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है।
- ★ प्रस्तावना में अबतक मात्र एक बार संशोधन हुआ है।
- 42वां संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गये।
 - (i) समाजवादी
 - (ii) पंथ निरपेक्ष
 - (iii) एकता एवं अखण्डता
- नोट :** धर्म निरपेक्ष का अर्थ होता है, सरकार धर्म से दूरी बनाकर रखेगी। जबकि पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है, सरकार किसी भी धर्म से भेदभाव नहीं करेगी।
- नोट :** भारत एक पंथनिरपेक्ष देश है, क्योंकि राज्य (देश) का अपना कोई धर्म नहीं है।
- ★ **राज्य (देश) के लिए आवश्यक तत्व :-**
 - (i) क्षेत्रफल
 - (ii) जनसंख्या
 - (iii) सरकार
 - (iv) सम्प्रभुता
- ★ **सम्प्रभुता :-** जब कोई सरकार अपने आंतरिक तथा बाह्य मामले स्वयं ले ले तो उसे सम्प्रभुत्व सरकार कहते हैं, सम्प्रभुत्व सरकार पर किसी का नियंत्रण नहीं रहता है।
- ★ भारत की संप्रभुता संसद के पास है।
- ★ **स्वायत राज्य या Autonomous या Dominian :-** वैसा क्षेत्र जो किसी देश के अधिन हो, किन्तु उसे आंशिक सम्प्रभुता प्राप्त हो, स्वायत कहलाता है।
 - e.g. चीनक का तिब्बत तथा हाँग-काँग
 - डेनमार्क का ग्रीन लैंड
 - भारत का जम्मू कश्मरी
- नोट :** प्रांत का राज्य होता है।

शासन के प्रकार



- ★ एकात्मक सरकार में राज्यों को शक्ति नहीं होती है।
 - e.g. ब्रिटेन - राजतंत्र
- ★ संघात्मक में केन्द्र और राज्य दोनों शक्तियाँ होती है।
 - e.g. USA, कनाडा, भारत, Pak
- ★ भारत पूरी तरह एकात्मक न संघात्मक है, भारत एक अद्वसंघात्मक है।
- ★ भारत में अधिकांश गुण संघात्मक के हैं किन्तु निम्नलिखित गुण हैं, जो एकात्मक में होते हैं।
 - (i) राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है किन्तु इसकी नियुक्ति केन्द्र करता है।

- (ii) भारत में नागरिकता केन्द्र सरकार देती है, जबकि राज्यसरकार केवल आवासीय देती है।
- (iii) संसद द्वारा बनाया गया कानून सभी राज्यों को मानना अनिवार्य है।
- (iv) केन्द्र का CAG सभी राज्यों के लेखाओं की जाँच कर देता है।
- (v) पूरे भारत में एकही न्यायपालिका है।
- (vi) आपातकालीन शक्ति केवल केन्द्र की है, और आपातकाल के दौरान संविधान एकात्मक हो जाता है।
- (vii) अखिल भारतीय सेवा (अनु. 315)
- (viii) नीति आयोग तथा योजना आयोग।

सरकार के प्रकार :-

1. राजतंत्र :- इसमें एक राजा वंशानुगत शासन करता है, जो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। अतः वह निरकुंश होता है। इसमें जनता के अधिकार को दबाया जाता है।

e.g. प्राचीन भारत, अरब, जापान, ब्रिटेन, भूटान etc.

2. राजशाही :- इसमें सैनिक का शासन रहता है। जो general सत्ता हथिया लेता है। जनता का सर्वाधिक अत्याचार तानाशाही में होता है।

e.g.	पाकिस्तान	-	परवेज मुखर्रफ
	ईराक	-	सद्दाम हुसैन
	सीरिया	-	बसर-अल-असद
	यमन	-	शेख अब्दुल्ला सालेह
	मिस्र	-	हैसनी मुबारक
	कोरिया	-	किंग जोम
	जर्मनी	-	हिटलर

3. साम्यवादी (Communist) : इसमें एक ही पार्टी का शासन होता है, इसमें कठोर नियम बनाये जाते हैं।

e.g. चीन, सोवियत संघ इत्यादि।

4. गणराज्य (Republic) :- इसमें राष्ट्र के प्रमुख का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है।

e.g. भारत के राष्ट्रपति

★ अब्राह्म लिंकन ने लोकतंत्र के विषय में कहा है, कि यह जनता की सरकार होती है, जो जनता द्वारा चुनी गई होती है और जनता के लिए शासन करती है।

लोकतंत्र दो प्रकार का होता है-

1. प्रत्यक्ष 2. अप्रत्यक्ष

1. प्रत्यक्ष लोकतंत्र :- यह कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में हो सकता है। इसमें जनता ही नियम बनाती है। स्वीट्जरलैण्ड तथा भारत के ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखा जाता है।


स्वीट्जरलैण्ड के राष्ट्रपति का कार्यकाल एक वर्ष का होता है।

2. अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र :- इसमें जनता द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री प्रतिनिधि जनता के लिए कानून बनाते हैं।

अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को दो भागों में बाँटते हैं-


1. अध्यक्षात्मक : - इसमें कार्यपालिका का विभाजन नहीं होता है। इसमें औपचारिक तथा वास्तविक दोनों शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के पास होती हैं।

2. संसदीय प्रणाली :- इसमें कार्यपालिका की शक्ति का विभाजन हो जाता है। वास्तविक शक्ति PM को तथा औपचारिक शक्ति राष्ट्रपति को दी जाती है।



नौकरशाही (Beaurccracy) :-

- ★ जिस व्यवस्था में नौकरशाह (अधिकारियों) का बोलबाला होता है, उसे नौकरशाही कहते हैं। इसे लाल फीता शाही भी कहते हैं। इसमें बहुत अधिक विभागीय प्रक्रिया होती है।
- e.g. भारत



- ★ भारत में अनु०-50 के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग-अलग है। न्यायपालिका सर्वोच्च तथा स्वतंत्र निकाय है। भारत में एकही न्यायपालिका है।
 - ★ Media को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिसका मुख्य कार्य शासन में आ रही कमी को उजागर करना तथा सरकार की आलोचना करना।
- Note :-** सरकार की सफलताओं को गिनवाने के लिए सुचना एवं प्रसारण मंत्रालय होता है।
- ★ विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़े होते हैं। जब कोई मंत्री संसद में बैठता है, तो विधायिका का अंग है किंतु जब वह अपने मंत्रालय में बैठता है, तो वह कार्यपालिका का अंग है।
 - ★ विधायिका कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण रखती है, यदि कार्यपालिका संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करेगी तो विधायिका उस पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाएगी।

कार्यपालिका दो प्रकार की होती है :-

- (i) **स्थायी कार्यपालिका** :- यह सेवानिवृत या Retirement तक अपने पद पर रहते हैं, जैसे अधिकारी तथा सचिव। ये लोग चयनित (selected) होते हैं।
- ★ सचिव जिस भवन में बैठते हैं, उसे सचिवालय कहते हैं और यह सचिवालय अध्यक्ष के अधीन रहता है।
- (ii) **अस्थायी कार्यपालिका** :- इन लोगों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है।
e.g. राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री etc. ये लोग निर्वाचित (Elected) होते हैं।
- ★ विधायिका नियम बनाती है, कार्यपालिका उस नियम को लागू करवाती है, न्यायपालिका नियम न मानने वाले को दंडित करती है।
- ★ Media किसी मुद्दे को राष्ट्रीय पटल पर उजागर करती है।

FIR (First Information Report) :-

- ★ किसी भी घटना की लिखित सुचना जो पुलिस को दी जाती है, उसे प्राथमिकी कहते हैं।
- ★ **Station Diary** :- FIR के आधार पर पुलिस जब घटना की जाँच करती है, और सही तथ्यों को एक जगह इकट्ठा करती है, उसे Station Diary कहते हैं। यह बड़ा सबुत होता है। पुलिस रिश्वत लेकर इसी Station Diary में कम तथ्यों को लिख देती है, जिस कारण केश कमज़ोर हो जाता है।

Charge Sheet / आरोपपत्र :-

- ★ इसमें IPC की धारायें लिखी गई रहती हैं, जिस आधार पर मुकदमा चलाया जाता है। Charge sheet file होने के बाद मुकदमा court में चला जाता है।

IPC (Indian Penal Code) :-

- ★ इसे 1861 के अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग के समय लाया गया। इसमें अपराध की परिभाषा दी गई रहती है।

CRPC (Code of Criminal Procedure) :-

- ★ इसमें अपराध के बदले कितना दंड दिया जाएगा, इसकी चर्चा रहती है।

प्रमुख धाराएँ :-

धारा 34 = सामुहिक अपराध

धारा 201 = सबुत मिटाना

धारा 302 = हत्या

धारा 304 = लापरवाही से हत्या (Bone damage, Blood)

धारा 307 = हत्या की कोशिश

धारा 309 = आत्म हत्या की कोशिश
धारा 312 = गर्भपात
धारा 315 = आत्म हत्या के लिए प्रेरित करना
धारा 365 = अपहरण
धारा 376 = Rape
धारा 376 (B) = Gange Rape
धारा 379 = चोरी (चार से कम व्यक्ति)
धारा 395 = डकैती (4 से ज्यादा व्यक्ति)
धारा 396 = डकैती के दौरान हत्या
धारा 415 = छल
धारा 420 = धोखा
धारा 444 = दूसरी विवाह

धारा 497 = व्यविचार (इसे समाप्त कर दिया गया है)

- ★ यह शादी-शुदा महिला के साथ संबंध रखने पर लगाया जाता है।
- ★ 166 (A) = FIR न लिखने पर इसका प्रयोग पुलिस के विरुद्ध किया जाता है। जब पुलिस FIR नहीं लिखती है, तो दूसरे पुलिस स्टेशन से FIR लिखवाया जाता है जिसे Zero FIR कहते हैं।
- ★ डायरेक्ट (Direct) कोर्ट में भी जाकर FIR लिखवाया जाता है।

Cyber Crime :-

- ★ Cyber Crime की धारा :- 66, 67, 67(A), 67(B) के तहत जब कोई व्यक्ति किसी Photo या Video का दुरुपयोग करता है, तो इन धाराओं के विरुद्ध उसपर कारबाई की जाती है।
- ★ धारा 144 :- धारा-144 के तहत व्यक्ति को समूह में इकट्ठा नहीं होने दिया जाता है।
- ★ जमानत :- जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो पुलिस उससे पुछताछ के लिए उसे पुलिस रिमांड पर ले लेती है। यहाँ पर पुलिस उसे पिटती है।
- ★ रिमांड पर पुछताछ के बाद उसे जेल में भेज दिया जाता है।
- ★ यदि इसका अपराध बढ़ा नहीं है, तो जज उसे जमानत पर छोड़ देता है। जमानत पर छोड़ने के लिए उसे कुछ धनराशि Security Money के रूप में जमा करनी होती है। तथा किसी अन्य व्यक्ति को Guaranty (जमानत) लेनी पड़ती है।
- ★ अग्रिम जमानत (Anti Sepetry bill) :- जब कोई व्यक्ति बहुत जघन्य अपराध करता है, तो उसे जमानत नहीं दिया जाता है, जिसे गैर जमानती वारन्ट कहते हैं।
e.g. निर्भया केश, हैदराबाद रेप केश etc. 26/11 हमला
- ★ पेरोल (Perol) :- जब कोई अपराधी अपराधिक घटनाओं को छोड़कर सुधरना चाहता है, तो जेल में उसके Record के आधार पर उसे छोड़ दिया जाता है।
e.g. संजय दत्त

International Relation :-

- ★ पहली दुनिया :- अमेरिका तथा सहयोगी देशों को पहली दुनिया कहते हैं।
- ★ दुसरी दुनिया :- रूस तथा उसके सहयोगी देशों को दूसरी दुनिया कहते हैं।
- ★ तीसरी दुनिया :- वैसे विकासशील देश जो किसी भी गुट में नहीं गये, उसे तीसरी दुनिया या द० दुनिया कहते हैं।

राष्ट्रसंघ (League of Nation) :-

- ★ प्रथम विश्वयुद्ध पुर्णतः 1919 के बरसाय के संधि के द्वारा समाप्त हुआ, इसके समाप्ति के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति कुडरो विल्सन ने जेनेवा में League of Nation की स्थापना की। यह League of Nation उस समय विश्व से मलेरिया उन्मूलन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई।
- ★ League of Nation के पास अपनी कोई सेना नहीं थी, इसका मुख्यालय जेनेवा तथा सभी कार्यालय भी जेनेवा में था।
- ★ जिस देश को उसका सदस्य बनना था उसे अपनी संसद से पहले अनुमति लेनी होती थी।
- ★ इसका संस्थापक अमेरिका खुद अपनी संसद से इसकी अनुमति नहीं ले सका।
- ★ इस संगठन ने जापान द्वारा चीन पर आक्रमण नहीं रोक सका।
- ★ League ने उस समय कुछ नहीं किया जब जर्मनी ने पॉलैण्ड पर आक्रमण किया। इसी घटना के कारण द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारंभ हो गया। और League of Nation अस्तित्व समाप्त हो गया।

United Nation Organisation (UNO) संयुक्त राष्ट्रसंघ :-

- ★ League of Nation की असफलता के बाद UNO की संस्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य तृतीय विश्वयुद्ध को रोकना तथा सभी देशों में आपसी समन्वय स्थापित करना था।
- ★ UNO के पास अपने सदस्य देशों के सहयोग से अपनी सेना उपस्थित है, जो उसे शक्ति प्रदान करती है।
- ★ 24 Oct 1945 को इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में की गई।
- ★ इसका स्थापना का मुख्य श्रेय रूस बेल्ट (USA), चर्चॉल (ब्रिटेन), स्वालिन (रूस) को जाता है।
- ★ UNO के छः अंग हैं-
 1. **न्यास (Trust) :-** यह UNO के लिए सदस्य देशों के सहयोग से धन उपलब्ध कराता है।
 2. **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice (ICJ))**
यह निदरलैंड के शहर हॉग में है। इसमें 15 जज होते हैं। एक जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। भारतीय जज दलबीर भंडारी इसमें कार्यरत हैं।
 3. **सचिवालय :-** UNO के सभी कार्य सचिवालय के अधीन आते हैं। महासचिव इस सचिवालय पर नियंत्रणी रखता है।
पुर्तगाल के एन्टोनियो गुटेरस वर्तमान महासचिव हैं।
नार्वे के त्रिम्बेली इसके पहले महासचिव थे।
घाना के कॉफी अन्नान तथा दक्षिणी कोरिया के वान-की-मून दो बार महासचिव रहे।
महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
 4. **महासभा (General Assembly) :-**
यह UNO का सबसे बड़ा भाग है, UNO के सभी सदस्य देश महासभा का सदस्य है। इसे विश्व का लघु संसद कहा जाता है।
वर्तमान में इसमें 193 देश हैं। दक्षिणी सुडान इसका नवीनतम सदस्य है, जो 2011 में जुड़ा।
महासभा अध्यक्ष के अधीन रहता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है।
विजय लक्ष्मी पंडित अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी।
किसी नये देश को UNO के अंग बनाने के लिए महासभा तथा सुरक्षा परिषद से अनुमति लेनी होती है।
 5. **सामाजिक एवं आर्थिक परिषद :-**
यह पुरे विश्व में कल्याणकारी कार्य को करता है, इसके कई अंग हैं-
 - A. Internation Labour Organisation (ILO) 1919 जेनेव
 - B. Food & Agriculture Organisation (FAO), 1945 रोम

C. WHO : World Health Organisation : 1943, जेनेवा

D. UNESCO (United Nation Education Social & Cultural), 1945–46, पेरिस

★ यह विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार देता है।

6. सुरक्षा परिषद :- इसका दायित्व पुरे विश्व में शांति स्थापित करना है, इसे दुनिया का पुलिस Man कहते हैं।
इसमें 10 अस्थायी तथा 5 स्थायी सदस्य हैं अर्थात् इसमें कुल 15 सदस्य हैं।

★ अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्षों का होता है।

★ स्थायी सदस्य आजीवन रहते हैं, इन्हें एक विशेष शक्ति प्राप्त है। जिसे veto कहते हैं। इस veto के माध्यम से वे किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं। अर्थात् किसी भी प्रस्ताव का पारित कराने के लिए पाँचों सदस्यों का सहमत होना आवश्यक है।

★ ये पाँच देश निम्नलिखित हैं-

(1) अमेरिका (2) ब्रिटेन (3) फ्रांस (4) रूस (5) चीन

★ भारत को veto न मिलने के कारण-

- (1) भारत का UNO में दिया जाने वाला बजट बहुत ही कम है।
- (2) कश्मीर मुद्दा अभी भी भारत-पाकिस्तान के बीच विवादित है।
- (3) भारत CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किया है और परमाणु बम रखे हैं।
- (4) सभी वीटो सदस्य भारत के पक्ष में नहीं हैं।

★ भारत को veto मिलने के कारण :-

- (1) भारत का बजट भले ही कम है, किंतु भारत UNP को बड़ी सं. में दर्वाईयाँ तथा सेना उपलब्ध कराता है।
- (2) UNO के डिक्सन आयोग का कब्जा है, कि कश्मीर एक क्षेत्रीय मुद्दा है न कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा अतः UNO को क्षेत्रीय मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
- (3) भारत भले CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किया है, और परमाणु बम रखे हुए हैं, किंतु न भारत की नीति है कि वह पहले परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेगा। अतः भरत अपना परमाणु बम सुरक्षा के उद्देश्य से रखा है।
- (4) भारत UNO का संस्थापक सदस्य है, क्योंकि भारत 1945 में ही UNO का सदस्य बन गया।
- (5) भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
- (6) भारत किसी भी गुट का सदस्य नहीं है।

Note :- भारत के स्थायी सदस्यता में सबसे बड़ी बाधा China है।

UNO की भाषा (Language of UNO) :-

★ UNO में मान्यता प्राप्त 6 भाषाएँ हैं-

(1) English (2) फ्रेंच (3) अरबी (4) स्पेनिश (5) Russian (6) Chinese

G.4 :- यह चार देशों का एक संगठन है, जो संयुक्त रूप से स्थायी सदस्यता (Veto) का मांग करते हैं।

★ इसकी स्थापना 2005 में हुई।

(1) ब्राजील (2) Germany (3) भारत (4) जापान

★ जर्मनी का विरोधी रूस है। जापान का कट्टर विरोधी चीन है। चीन भारत का भी विरोधी है।

★ ब्राजील का विरोध करने वाला इस Group में कोई नहीं है।

★ दक्षिणी अमेरिका से ब्राजील आता है, इस महाद्वीप से ब्राजील आता है और इस महाद्वीप में कोई किसी के पास veto नहीं है।

G.7 :- इसकी स्थापना 1975 में हुई। यह 7 विकसित देशों का एक संघठन है- (1) कनाडा (2) USA (3) UK (4) फ्रांस (5)

Germany (6) Etley (7) Japan

★ पहले इसमें रूस भी आता था, तब इसका नाम G-8 था।

G.20 :- इसकी स्थापना 1999 में हुई। यहाँ 20 देशों के केन्द्रीय बैंक के गवर्नर का बैठक होता है।

NPT (Nuclear-Non Proliferation Treaty) (1968) :-

- ★ इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देश इस बात को स्वीकार करते हैं कि 1974 से पहले परमाणु बम जिन देशों के पास या वे ही परमाणु बम रख सकते हैं, बाकि के देश नहीं रख सकते।
- ★ NPT के अनुसार अमेरिका, UK, France, Russia, China यहीं परमाणु संपन्न देश हैं। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

NSG (Nuclear Supplies Group) (1974) :-

- ★ यह 48 देशों का एक संगठन है, जिसके पास Urenium का प्रचुर भंडार है। यह शांतिपूर्ण कार्य (बिजली उत्पादन) के लिए Urenium उपलब्ध कराता है।
- ★ यह उन्हें यूरेनियम देता है, जो NPT पर हस्ताक्षर किये हैं।
- ★ भारत इसका सदस्य बनना चाहता है, ताके ये Urenium ले सके किंतु चीन भारत का विरोध करता है।
- ★ जब तक NSG के 48 सदस्य सर्वसहमति से किसी सदस्य को मान्यता नहीं देते हैं, तब तक उसे NSG का सदस्य नहीं बनाया जाता है।

CTBT (Comprehensive Test Ban Treaty) (1996) :-

- ★ यह संधि जल, थल तथा वायु में नाभिकीय परिक्षण पर रोक लगाता है। भारत इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है।
- ★ भारत भूमिगत (Under Ground) परमाणु परिक्षण किया है।

Note :- 18 may 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु परिक्षण किया जिसका कोड नाम इसमाइलिंग बुद्धा (Smiling Budha) था। यह परिक्षण पूर्णतः सफल नहीं था।

- ★ 11 तथा 13 may 1998 को भारत ने अपना दूसरा परमाणु परिक्षण किया। इसका कोड नाम शक्ति 98 था यह पूर्णतः सफल था।
- ★ भारत ने अपना परमाणु बम का परिक्षण राजस्थान के पोखरण में किया।

वासेजार (Arrangement) :-

- ★ इसकी स्थापना 1996 में हुई। यह परमाणु हत्यारों के उत्पादन तथा प्रसारण पर नियंत्रण रखता है।

MTCR (Missile Technology Control Resgins) (1997) :-

- ★ यह मिसाइलों के व्यापार पर नियंत्रण रखता है। भारत इसका नवीनतम (45वाँ) सदस्य बन गया है। इसके सदस्य देश ही 300km मार्क क्षमता वाली मिसाइल की खरीद बिक्री कर सकते हैं।
- ★ China इसका सदस्य देश नहीं है, जिस कारण वह लंबी दूरी की मिसाइलों की खरीद-बिक्री नहीं कर सकते हैं।
- ★ China यदि MTCR का सदस्य बनना चाहे तो उसे भी 35 देशों के सर्वसहमति से प्रवेश करना होगा। जिसमें भारत उसका विरोध कर देगा।

NATO (North Atlantic treaty Organisation) (1999) :-

- ★ यह एक सैनिक संगठन है, जिसमें 29 देश आते हैं। इसका मुख्यालय ब्रेसेल्स में है। कोई भी देश यदि इनपर हमला करता है, तो ये 29 से उनपर आक्रमण करता है। भारत, रूस, चीन इसके सदस्य नहीं हैं।

EU (Europian Unioon) (1993) :-

- ★ यह यूरोप के 28 देशों का एक संगठन है। इन 28 देशों की एक Common विदेशी तथा आर्थिक नीति है। इन 28 में से 19 देशों की एक ही मुद्रा है, जिसे 'यूरो' करेन्सी कहते हैं।

ASEAN (Asseciation of South east Assian Nation) (1967) :-

- ★ यह 10 देशों का एक संगठन है, जिसका मुख्यालय जकार्ता है। यह एक आर्थिक संगठन है।

SAARC (South Asian Asscciation for Reginal Corporation) (1985) :-

- ★ यह आठ देशों का एक संगठन है, जिसका मुख्यालय काठमाण्डू है। यह एक आर्थिक संगठन है।

IBSA :-

- ★ इसकी स्थापना 2003 में हुई इसमें तीन देश आते हैं, India, ब्राज़ील, South Africa (आर्थिक संगठन)

BRICS :-

- ★ इसकी स्थापना 2009 में हुई यह पाँच देशों का एक आर्थिक सम्मेलन है।

- ★ BRICS देशों ने अपना बैंक बनाया है, जिसे New Development Bank (NDB) कहते हैं।

- ★ NDB की स्थापना 2014 में संघर्ष में की गई।

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) :-

- ★ इसकी स्थापना 2016 में बीजिंग में की गई।

Asian Development Bank (ADB) :-

- ★ इसकी स्थापना 1966 में मणिला में की गई।

World Bank (WB) विश्व बैंक :-

- ★ इसकी स्थापना 1995 में वासिंगटन में की गई।

Citizenship Amendment bill (CAB) :-

- ★ इसके अनुसार बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ने आने वाले हिंदु सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई सरपार्थियों को भारत में नागरिकता दी जा सकती है। किंतु इन देश से मुस्लिम सर्णनार्थियों को नागरिकता नहीं दी जाएगी।

- ★ यह विधेयक अनु० 14 का आंशिक उल्लंघन है। इस विधेयक में नेपाल से आनेवाले मधेसिया तथा श्रीलंका से आनेवाले तमिल की कोई चर्चा नहीं है।

- ★ भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए अलग से एक Register बनेगा जिसे National Register for Citizenship (NRC) कहते हैं।

- ★ भारत में पंजीकरण के लिए 7 वर्ष तथा देशीकरण के लिए 12 वर्ष की अवधि है।